राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई
विशाल कॉम्प्लेक्स, 19–ए, विधान सभा मार्ग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2013–14 / दिनांक – 05/11/14

विषयः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 की स्वीकृत गतिविधियों हेतु संगत 'पूल' में उपलब्ध धनराशि से व्यय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप अवगत है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 की आर0ओ0पी0 भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 में स्वीकृत गतिविधियों के सम्बन्ध में जिला कार्ययोजना (डैप) बनाने की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसे समस्त जनपदों को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दिया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कतिपय गतिविधियों हेतु धनराशियाँ राज्य स्वास्थ्य समिति से आपको अवमुक्त की गयी है, जिससे सम्बन्धित गतिविधियों में इन धनराशियों का व्यय जनपद स्तर पर किया जा रहा है। 'ऑपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट' में दी गयी व्यवस्था के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर से जनपद को धनराशि जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष विभिन्न 'पूल' में (जनपद स्तर पर दिनांक 01.04.2014 को उपलब्ध अनकमिटेड अवशेष को समायोजित करते हुए) अवमुक्त किये जाने के निर्देश है, जिससे कि जनपद अपनी वरीयता के क्रम में जिला कार्ययोजना (डैप) में स्वीकृत विभिन्न गतिविधियों में स्वीकृत बजट की सीमा तक संगत 'पूल' से धनराशि व्यय कर सकें। इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में जो धनराशियाँ जनपदों को राज्य स्वास्थ्य समिति से अवमुक्त की गयी है, उन्हें दिनांक 01.04.2014 को संगत 'पूल' में प्रारम्भिक अनकमिटेड अवशेष धनराशि के साथ संयुक्त कर कुल धनराशि को 'पूल' की धनराशि मानते हुए अपनी वरीयता के आधार पर विभिन्न गतिविधियों की स्वीकृत बजट की सीमा के अन्तर्गत व्यय / अवमुक्त करने का कष्ट करें। इस प्रकार 'पूल' में उपलब्ध धनराशि उस 'पूल' के अन्तर्गत आने वाली समस्त स्वीकृत गतिविधियों हेतु उपलब्ध हो सकेगी एवं जनपद अपनी वरीयता के आधार पर गतिविधियों पर व्यय कर सकेंगे। स्वीकृत जिला कार्ययोजना (डैप) तैयार होने के उपरान्त राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर से अवमुक्त की गयी धनराशियों को प्रारम्भिक अनकमिटेड अनस्पेन्ट अवशेष के साथ कुल धनराशि को स्वीकृत जिला कार्ययोजना (डैप) के सापेक्ष पूलवार समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि सम्बन्धित 'पूल' में जनपदों को अवमुक्त की जायेगी। अग्रेतर जनपदों द्वारा कमिटेड अनस्पेन्ट फण्ड में विभिन्न गतिविधियों हेतु रक्षित करायी गयी धनराशियों की पुनः समीक्षा कर यह ज्ञात कर लिया जाये कि कौन सी कमिटेड धनराशियाँ भविष्य में व्यय किये जाने योग्य नहीं है? ऐसी गतिविधियों / संगत धनराशियों की सूचना पूर्ण विवरण सहित दिनांक 15.11.2014 तक महानिदेशालय, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई के सम्बन्धित महाप्रबन्धक तथा वित्त अनुभाग को अवश्य उपलब्ध करा दें।

कृपया प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक–एन0एच0एम0

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2013–14 / 3367-75-6 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के सादर संज्ञानार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य / परिवार कल्याण, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
4. महाप्रबन्धक (नियोजन), राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0।
6. समस्त जिला लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक–एन0एच0एम0

पत्रांकः–एस0पी0एम0यू0 / एन0आर0एच0एम0 / लेखा / 2013–14 / 3367-75-6-1 तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक / अधिशासी अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/11/2014
(संजय श्रीवास्तव)
वित्त नियंत्रक–एन0एच0एम0